

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी


.....शाहीब मौर्य बनाम

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

किस्म मुकदमा :- 1889-T.A-4

.....गोपाल.....


नंबर ३६ वर्ष 20२३

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---|--|
| २२-५-२५ | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब नौर/उपखण्ड पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>३१-७-२५</u> को पेश हो <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ३१-७-२५ | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. <u>वादी की ओर से</u> P.O. साहब नौर/उपखण्ड पर पधारे है। <u>वकील की शाहिलार ने वकील पेश किया</u> अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>६-११-२५</u> को पेश हो <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ६-११-२५ | पत्रावली पेश हुई। वकील उपखण्ड उप। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र वास्ते खाता सं. 185 के स्थान पर नया खाता सं. 181 की पत्रावली में शामिल करते बाबत पेश किया, जिसका उपरि लिखित पत्रावली भिजा। वकील वादी ने जवाबुल जवाब हेतु लक्षण याद्य किताब दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27-11-25 को पेश की। <p style="text-align: center;"><u>उपखण्ड अधिकारी</u> <u>रूपनगढ़ (अजमेर)</u></p> | |
| २६-११-२५ | वादी द्वारा प्रार्थना-प्र अन्तर्गत धारा 151 C.P.C. वास्ते पत्रावली में शीघ्र सुनवाई करके पत्रावली को तलब करने बाबत व राजस्व वाद पर को विद्वा करने बाबत पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। वादी स्वयं उपस्थित जिसकी पहचान वकील वादी द्वारा की गई। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-प्र अनुसार उक्त राजस्व वाद पर को विद्वा करना चाहता है तथा ओगे वाद | <p style="text-align: right;"><u>Asish</u></p> <p>आधार नं- 78825907  1001</p> |

मु.नं. 76/23 आशीष मोर्य गोपाल

को नहीं चलाना चाहता है। वादी द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना-पत्र पर वादी व वकील वादी को
सुना गया, तदनुसार वादी का वाद जारीये
विद्रोह खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार हैक रनम्बर
से कम हो।


अखण्ड अधिकारी
लखनगढ़ (अजमेर)